राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1488 दिनांक 30/6/17

प्रेषित :-

तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 20/2017 अनवान साजन वगैरा बनाम भागीरथराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 5-6-17 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :- निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
(SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम आर.ए.एस.***

1.साजन 2.हीरा 3.चौथाराम
पि.नरसींगा, जाति विश्नोई
निवासी आदर्श सोनड़ी, तहसील सेड़वा

बनाम

1.भागीरथ गोदपुत्र चैनाराम 2.सोहनलाल
पुत्र भागीरथ, जाति विश्नोई
निवासी आदर्श सोनड़ी, तहसील सेड़वा।
3. तहसीलदार सेड़वा

वाद बाबत 188, RT Act.

मुकदमा नं. 20/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री मोहनसिंह सोढ़ा** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** .... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आदर्श सोनड़ी, पटवार मण्डल सोनड़ी, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 1001/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1003/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1002/82 रकबा 04.09 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे, न ही वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त से बेदखल करे । मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् प्रतिवादीगण को स्थाई–निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तथा तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार पक्षकारों को पाबन्द करवाये।**......... .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलयाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 5-6-17 को जारी की गई।

दस्तखत.........................

मुहर

ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे, न ही वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त से बेदखल करे । मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् प्रतिवादीगण को स्थाई–निषेधाज्ञा से

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 20/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण – 1.साजन 2.हीरा 3.चौथाराम पि.नरसींगा, जाति विश्नोई निवासी आदर्श सोनड़ी, तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.भागीरथ गोदपुत्र चैनाराम 2.सोहनलाल पुत्र भागीरथ, जाति विश्नोई,निवासी आदर्श सोनड़ी, तहसील सेड़वा।
3. तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री मोहनसिंह सोढ़ा**
प्रतिवादी वकील –

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 5-6-17

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी का खेत मौजा **ग्राम आदर्श सोनड़ी, पटवार मण्डल सोनड़ी, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 1001/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1003/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1002/82 रकबा 04.09 बीघा** का आया हुआ है। उक्त खसरान का मूल खसरा सं. 82 है जिसके बाद में बंटवाड़ा होने से बट्टा नम्बर डाले गये। वादीगण का वर्षो सं पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरान के पूर्वी सेढ़े पर प्रतिवादीगण का खेत खसरा सं. 82 रकबा 17.12 बीघा आया हुआ है। जिसकी मौके पर जमीन पूर्ण है। प्रतिवादीगण बदमाश, झगड़ालू एवं आपराधिक प्रवृति के है जो आये दिन वादीगण के खेत के सेढ़े तोड़ते रहते है तथा वादीगण के खेत में घुसकर उसकी भूमि पर काश्त करने की कोशिश करते है। कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के खेत में घुसकर वादीगण के हिस्से की भूमि पर नेखमबन्दी करवाने पर आमदा हो गए। वर्षात के मौसम में पक्षकारों में काश्त को लेकर विवाद रहता है। प्रतिवादीगण वादीगण को डरा धमका कर उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा करना एवं बेचान करना चाहते है। अगर प्रतिवादीगण अपने उक्त नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

क्षतिपूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण नहीं करे, न ही प्रतिवादीगण किसी प्रकार की देखलन्दाजी करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी वकील द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में ई.एक्स.पी.1 नकल जमाबन्दी खेत खसरा सं. 1001/82, 1002/82, 100/82 मौजा आदर्श सोनड़ी ई.एक्स.पी.2 नकल आंशिक नक्शा खेत खसरा सं. 1001/82, 1002/82, 100/82 मौजा आदर्श सोनड़ी की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय में **Exhibit** करवाये।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प फागलिया दिनांक 05.06.17 को पेश हुई। वादीगण उपस्थित हुए। वादीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी के खेत मौजा ग्राम आदर्श सोनड़ी, पटवार मण्डल सोनड़ी, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 1001/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1003/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1002/82 रकबा 04.09 बीघा का आया हुआ है। उक्त खसरान का मूल खसरा सं. 82 है जिसके बाद में बंटवाड़ा होने से बट्टा नम्बर डाले गये। वादीगण का वर्षो सं पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरान के पूर्वी सेढ़े पर प्रतिवादीगण का खेत खसरा सं. 82 रकबा 17.12 बीघा आया हुआ है। जिसकी मौके पर जमीन पूर्ण है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण हमारी भूमि में दखलन्दाजी करते है एवं प्रतिवादीगण हमें डरा धमका कर हमारी खातेदारी भूमि पर कब्जा करना एवं बेचान करना चाहते है। इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त वादीगण के खातेदारी की भूमि में है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा बेवजह कब्जा–काश्त करने का प्रयास किया जा रहा है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उपरोक्त वादग्रस्त में दखलन्दाजी की जा रही है। जो न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त वादग्रस्त में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत होता है। स्पष्ट होता है कि दावा स्वीकार करने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा **ग्राम आदर्श सोनड़ी, पटवार मण्डल सोनड़ी, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 1001/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1003/82 रकबा 04.08 बीघा, खसरा सं. 1002/82 रकबा 04.09 बीघा** भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे, न ही वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त से बेदखल करे । मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् प्रतिवादीगण को स्थाई–निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प फागलिया मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन